

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फ़ैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक / पं.रा / बजट / 2474 / सर्वर / 2020-21 / 109 भोपाल, दिनांक 04/01/2021  
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत-जिला(संलग्न सूची अनुसार-12)  
मध्यप्रदेश।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मांग संख्या-62 में योजना क्रमांक-2474 अन्तर्गत 31-003-अभिभाषकों की फीस हेतु बजट आवंटन बाबत।

-00-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से विषयांकित योजनाओं में प्राप्त बजट आवंटन के अनुसार पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत आहरण संवितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मांग संख्या-62 में निम्नानुसार आवंटन जारी किया जाता है :-

मांग संख्या-62-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-2474-पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार-9999 अंतर्गत परिशिष्ट के कॉलम-4 अनुसार 31-003-अभिभाषकों की फीस हेतु संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को आवंटन प्रदाय किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आवंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।

निरंतर....

// 02 //

- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिर्वायतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखने का कष्ट करें।
- (5) संचालनालय द्वारा आपको जारी आवंटन का व्यय म.प्र.शासन, वित्त विभाग के क्रमांक/445/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 09.04.2018 से जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना तथा व्यय करने के पूर्व मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा का ध्यान रखे का कष्ट करें।

संलग्न :- परिशिष्ट

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पू0क्रमांक/पं.रा/बजट/2474/सर्वर/2020-21/110 भोपाल, दिनांक 04/01/2021  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पं0ग्रा0वि0 विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला-संबंधित म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ। सौंपे गये आबंटन के विरुद्ध बंटन आदेशानुसार व्यय सुनिश्चित करें।
7. निज सहायक, संचालक, पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-62-(आयोजनेत्तर)-2515-योजना  
क्रमांक-2474-पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार अंतर्गत 31-003-अभिभाषकों  
की फीस हेतु जिला पंचायतों को आवंटित राशि का विवरण

(राशि रूपये में)

क्र.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	डी.डी.ओ. कोड	(31-003)
			अभिभाषकों की फीस
1	2	3	4
1	जबलपुर	1805802019	30000
2	इन्दौर	1705802003	30000
3	ग्वालियर	1405802010	50000
4	दतिया	0905802004	30000
5	शिवपुरी	3905802005	30000
6	भिण्ड	0405802019	30000
7	खरगोन	2205802122	30000
8	उज्जैन	4305802010	30000
9	नीमच	2705802002	30000
10	मंदसौर	2405802012	30000
11	रतलाम	3105802015	30000
12	कटनी	2005802010	14000
योग(राशि-तीन लाख चौसठ हजार मात्र)			<b>364000</b>

म.प्र. 04/01/2021  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
म.प्र.भोपाल